

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 633/2024

अनवान : -

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. लखवीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. माणकसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. जगतारसिंह पुत्र हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. जगराज सिंह पुत्र हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. हरबशकौर पुत्री महेन्द्रकौर पत्नि हरमेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. अजीतकौर पत्नि हरपालसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. सुखदेव कौर पुत्री महेन्द्र कौर पत्नि हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख साकिन मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
6. महेन्द्र कौर उर्फ जसपाल कौर पत्नि हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख साकिन मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
7. परमजीत कौर पुत्री महेन्द्र कौर पत्नी हरमेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाही खातेदारी कृषि भूमि चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2072- 2075 के खाता सं. 43 के प.न. 331/392 मु.न. 22 के किला नं. 21 ता 23 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 331/393 मु.न. 37 के किला नं. 1/1, 1/2 2/1 ,2/2 व 3/1 व 3/2 की 0.6830 हैक्टर नहरी भूमि एवं 0.076 हैक्टर गै.मु. खाला,कुल 9 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 जगतारसिंह का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 जगराजसिंह का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 लखवीर सिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एंन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2075- 2078 के खाता सं. 35 के प.न. 333/381 मु.न. 25 के किला नं. 4/1, 4/2 व 5/1 , 5/2 व 6, 7 की गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि नहरी 0.9620 हैक्टर भूमि प.न. 334/380 मु.न. 21 के किला नं. 11, 12 व 19 ता 22 की कुल 6 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि, प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/1 व 1/2 व 2/3 व 2/4 व 7/1 व 9/1 व 10 व


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


14/1 व कुल 9 किता की 0.050 हैक्टर गै.मु. रास्ता 1.6440 हैक्टर नहरी भूमि है कुल 21 किता की 4.2240 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें जिसमें प्रतिवादी सं. 1 जगतारसिंह का 6009/21125 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 जगराजसिंह का 12017/42250 हिस्सा, जसपाल कौर उर्फ महेन्द्र कौर मृतक का 3099/21125 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 लखवीर सिंह का 12017/42250 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 के खाता सं. 68 के प.न 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 23 व 24 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 3/1 व 3/2 व 4/1 व 4/2 व 7, 8, 13 ता 15 व 18 कुल 10 किता की 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1.9720 हैक्टर नहरी भूमि है कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर भूमि स्थित है जो महेन्द्र कौर की खातेदारी भूमि है। एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 के खाता सं. 184 के प.न. 337/391 मु.न. 152 के किला नं. 21 ता 24 व 25/1 की कुल 5 किता की 1.152 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी महेन्द्र कोर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि दादालाही खातेदारी भूमि है जिसमें वादी सं 0 1 का जगतारसिंह प्रतिवादी सं 0 1 के साथ तथा वादी सं 0 3 का प्रतिवादी सं 0 2 जगराज सिंह के साथ जन्मजात हिस्सा है तथा महेन्द्र कौर के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा है प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। महेन्द्र कौर का नाम जमाबन्दी से कलमजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वाद भूमि पर काबिज है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

उपरोक्त वाद भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने बांहमी बटवारा कर रखा जो कि निम्न प्रकार से है—

वादी सं. 1 के गुरुप्रीत पुत्र जगतार सिंह के पास :—चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के प.न. 337/391 मु.न. 152 के किला नं. 21 ता 24 की 1.0120 हैक्टर भूमि एवं किला नं. 25/1 की 0.140 हैक्टर भूमि कुल 1.152 हैक्टर भूमि रहेगी।

प्रतिवादी सं. 1 जगतारसिंह के पास :— चक 9 के एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 के मु.न. 21 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 333/381 मु.न. 25 के किला नं. 4/1 की 0.025 हैक्टर 4/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 5/1 की 0.025 हैक्टर 5/2 की 0.228 हैक्टर भूमि एवं 6 की 0.2530 हैक्टर भूमि 7 की 0.2530 हैक्टर भूमि रहेगी। प.न. 337/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/2 /1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता व 10/1 की 0.0380 हैक्टर भूमि कुल 1.847 हैक्टर भूमि नहरी 1.797 हैक्टर भूमि रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि रहेगी।


 जज अफ़सरी
 नोहर

वादी सं. 3 माकण सिंह पुत्र जगराज सिंह के पास :- चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प. न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 4/1 की 0.026 हैक्टर 4/2 की 0.227 हैक्टर भूमि एवं किला नं. 7, 14, 15 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि रहेगी।


वादी सं. 2 लखवीरसिंह पुत्र हरपाल सिंह के पास :- चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 3/1 की 0.026 हैक्टर भूमि, 3/2 की 0.227 हैक्टर भूमि किला नं. 8, 13, 18 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि रहेगा तथा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/393 मु.न. 37 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर, 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 2/1 की 0.025 हैक्टर, 2/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 3/1 की 0.025 हैक्टर 3/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 7-8 की 0.5060 हैक्टर भूमि 9/1 की 0.240 हैक्टर भूमि, 10/2 की 0.215 हैक्टर भूमि 14/1 की 0.202 हैक्टर कुल 1.163 हैक्टर नहरी भूमि रहेगी।

प्रतिवादी सं. 2 जगराज सिंह के पास :- रोही मौजा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/392 मु.न. 22 के किला नं. 21 ता 23 की 0.7590 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि नहरी भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 मु.न. 21 के किला नं. 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्टर भूमि, प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर 1/2 की 0.190 हैक्टर भूमि, 2/3 की 0.025 हैक्टर भूमि, 2/4 की 0.215 हैक्टर भूमि कुल 1.214 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.164 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे जथा महेन्द्र कौर का नाम कलमजन कर मुताबिक विभाजन जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2072- 2075 के खाता सं. 43 के प.न. 331/392 मु.न. 22 के किला नं. 21 ता 23 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 331/393 मु.न. 37 के किला नं. 1/1, 1/2 2/1 , 2/2 व 3/1 व 3/2 की 0.6830 हैक्टर नहरी भूमि एवं 0.076 हैक्टर गै.मु. खाला, कुल 9 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 जगतारसिंह का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 जगराजसिंह का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 लखवीर सिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.ए.न. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2075- 2078 के खाता सं. 35 के प .न. 333/381 मु.न. 25 के किला नं. 4/1, 4/2 व 5/1 , 5/2 व 6, 7 की गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि नहरी 0.9620 हैक्टर भूमि प.न. 334/380 मु. न. 21 के किला नं. 11, 12 व 19 ता 22 की कुल 6 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि, प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/1 व 1/2 व 2/3 व 2/4 व 7, 8 व 9/1 व 10 व 14/1 व कुल 9 किता की 0.050 हैक्टर गै.मु. रास्ता 1.6440 हैक्टर नहरी भूमि है कुल 21 किता की 4.2240 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 जगतारसिंह का 6009/21125 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 जगराजसिंह का 12017/42250 हिस्सा, जसपाल कौर उर्फ महेन्द्र कौर मृतक का 3099/21125 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 लखवीर सिंह का 12017/42250 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 के खाता सं. 68 के प.न 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 23 व 24 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 3/1 व 3/2 व

4/1 व 4/2 व 7, 8, 13 ता 15 व 18 कुल 10 किता की 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1.9720 हैक्टर नहरी भूमि है कुल 12 किता की 2.5300 हैक्टर भूमि स्थित है जो महेन्द्र कौर की खातेदारी भूमि है। एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 के खाता सं. 184 के प.न. 337/391 मु.न. 152 के किला नं. 21 ता 24 व 25/1 की कुल 5 किता की 1.152 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी महेन्द्र कोर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के प.न. 337/391 मु.न. 152 के किला नं. 21 ता 24 की 1.0120 हैक्टर भूमि एवं किला नं. 25/1 की 0.140 हैक्टर भूमि कुल 1.152 हैक्टर का वादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 9 के एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 के मु.न. 21 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 333/381 मु.न. 25 के किला नं. 4/1 की 0.025 हैक्टर 4/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 5/1 की 0.025 हैक्टर 5/2 की 0.228 हैक्टर भूमि एवं 6 की 0.2530 हैक्टर भूमि 7 की 0.2530 हैक्टर भूमि रहेगी। प. न. 337/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/2 /1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता व 10/1 की 0.0380 हैक्टर भूमि कुल 1.847 हैक्टर भूमि नहरी 1.797 हैक्टर भूमि रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 4/1 की 0.026 हैक्टर 4/2 की 0.227 हैक्टर भूमि एवं किला नं. 7, 14, 15 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि का वादी स० 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 3/1 की 0.026 हैक्टर भूमि, 3/2 की 0.227 हैक्टर भूमि किला नं. 8, 13, 18 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि रहेगा तथा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/393 मु.न. 37 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर, 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 2/1 की 0.025 हैक्टर, 2/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 3/1 की 0.025 हैक्टर 3/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 7-8 की 0.5060 हैक्टर भूमि 9/1 की 0.240 हैक्टर भूमि, 10/2 की 0.215 हैक्टर भूमि 14/1

की 0.202 हैक्टर कुल 1.163 हैक्टर भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/392 मु.न. 22 के किला नं. 21 ता 23 की 0.7590 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि नहरी भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 मु.न. 21 के किला नं. 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्टर भूमि, प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर 1/2 की 0.190 हैक्टर भूमि, 2/3 की 0.025 हैक्टर भूमि, 2/4 की 0.215 हैक्टर भूमि कुल 1.214 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.164 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं महेन्द्र कौर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/08/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

as
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 633/2024

अनवान : -

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
 2. लखवीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
 3. माणकसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम्

1. जगतारसिंह पुत्र हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. जगराज सिंह पुत्र हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
3. हरबशकौर पुत्री महेन्द्रकौर पत्नि हरमेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
4. अजीतकौर पत्नि हरपालसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
5. सुखदेव कौर पुत्री महेन्द्र कोर पत्नि हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख साकिन मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर
6. महेन्द्र कौर उर्फ जसपाल कौर पत्नि हरमेन्द्र सिंह जाति जटसिंख साकिन मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
7. परमजीत कौर पुत्री महेन्द्र कौर पत्नी हरमेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 633 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/08/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के प.न. 337/391 मु.न. 152 के किला नं. 21 ता 24 की 1.0120 हैक्टर भूमि एवं किला नं. 25/1 की 0.140 हैक्टर भूमि कुल 1.152 हैक्टर का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 9 के एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 के मु.न. 21 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 333/381 मु.न. 25 के किला नं. 4/1 की 0.025 हैक्टर 4/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 5/1 की 0.025 हैक्टर 5/2 की 0.228 हैक्टर भूमि एवं 6 की 0.2530 हैक्टर भूमि 7 की 0.2530 हैक्टर भूमि रहेगी। प.न. 337/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/2/1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता व 10/1 की 0.0380 हैक्टर भूमि कुल 1.847 हैक्टर भूमि नहरी 1.797 हैक्टर भूमि रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 4/1 की 0.026 हैक्टर 4/2 की 0.227 हैक्टर भूमि एवं

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किला नं. 7, 14, 15 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि का वादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 339/392 मु.न. 22 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 339/393 मु.न. 33 के किला नं. 3/1 की 0.026 हैक्टर भूमि, 3/2 की 0.227 हैक्टर भूमि किला नं. 8, 13, 18 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 1.265 हैक्टर भूमि रहेगा तथा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/393 मु.न. 37 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर, 1/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 2/1 की 0.025 हैक्टर, 2/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, 3/1 की 0.025 हैक्टर 3/2 की 0.228 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 7-8 की 0.5060 हैक्टर भूमि 9/1 की 0.240 हैक्टर भूमि, 10/2 की 0.215 हैक्टर भूमि 14/1 की 0.202 हैक्टर कुल 1.163 हैक्टर भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 331/392 मु.न. 22 के किला नं. 21 ता 23 की 0.7590 हैक्टर भूमि, कुल 0.7590 हैक्टर भूमि नहरी भूमि एवं रोही मौजा चक 9 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 334/380 मु.न. 21 के किला नं. 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्टर भूमि, प.न. 334/381 मु.न. 26 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टर 1/2 की 0.190 हैक्टर भूमि, 2/3 की 0.025 हैक्टर भूमि, 2/4 की 0.215 हैक्टर भूमि कुल 1.214 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.164 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं महेन्द्र कौर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/14 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर